

प्रेस नोट

पुलिस अधीक्षक कानपुर देहात के निर्देशन में दिनांक:- 11.08.2025 को जनपद में अपराधियों के विरुद्ध व अपराध नियन्त्रण हेतु चलाये जा रहे अभियान एवं जनपद में शान्ति व्यवस्था कायम रखने हेतु की गयी कार्यवाही का विवरण:-

❖थाना भोगनीपुर पुलिस द्वारा अ0सं0-231/18 धारा 138 विद्युत अधिनियम से सम्बन्धित अभियुक्त रामखेलावन पुत्र बाबूलाल उम्र 45 वर्ष निवासी इंदिरा नगर कस्बा पुखरायां थाना भोगनीपुर जनपद कानपुर देहात को गिरफ्तार कर विधिक कार्यवाही की गयी।

जनपद में शांति व्यवस्था कायम रखने हेतु जनपद पुलिस द्वारा 18 व्यक्तियों के विरुद्ध थानावार क्रमशः जिसमें थाना अकबरपुर पुलिस द्वारा 02 व्यक्तियों, थाना रूरा पुलिस द्वारा 02 व्यक्ति, थाना गजनेर पुलिस द्वारा 03 व्यक्तियों, थाना मूसानगर पुलिस द्वारा 02 व्यक्तियों, थाना राजपुर पुलिस द्वारा 01 व्यक्ति, थाना डेरापुर पुलिस द्वारा 01 व्यक्ति, थाना मंगलपुर पुलिस द्वारा 02 व्यक्तियों, थाना शिवली पुलिस द्वारा 02 व्यक्तियों व थाना भोगनीपुर पुलिस द्वारा 03 व्यक्तियों का धारा 170/126/135 बीएनएसएस के अन्तर्गत चालान किया ।